भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1830** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **16 दिसम्बर**, 2022/25 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों की संख्या

†**1830. श्री सी. आर. पाटिल :**

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री सुरेश कश्यप :

श्री संगम लाल गुप्ता :

श्री पी. पी. चौधरी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 10 वर्षों के दौरान देश में विकसित किए गए पत्तन की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में वर्तमान में परिचालनरत पत्तनों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने पत्तनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): कुल पत्तनों (महापत्तन तथा गैर-महापत्तन) तथा प्रचालनरत गैर-महापत्तनों का राज्यवार/संघ क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-I** में प्रदान किया गया है। देश के सभी महापत्तन कार्यरत/प्रचालनरत पत्तन हैं।

(ग) और (घ): जी, हां। भारत सरकार, पोत परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने और नेट जीरो (निवल शून्य) तथा कम उत्सर्जन वाले समाधानों के संवर्धन और विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। वर्ष 2030 तक सभी महापत्तनों को नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से विद्युत के मामले में न्यूनतम 60% आत्मनिर्भर बनाया जाना है। पत्तनों की ऊर्जा संबंधी सभी आवश्यकताओं को नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से पूरा किया जाना है। इस दिशा की पहलों में, प्राकृतिक प्रकाश या ऊर्जा कुशल लाइटिंग पर आधारित हरित/प्राकृतिक समाधानों का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण अनुकूल भंडारण, स्वचालित और कॉम्पेक्ट किस्म की भंडारण प्रणालियां, रूफटॉप सौर ऊर्जा, एचवीएलएस पंखों का इस्तेमाल तथा वर्षा जल संचयन शामिल हैं।

अनुबंध ।

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	कुल गैर-महापत्तन	कार्गो हैंडल करने वाले कुल गैर-महापत्तन	कुल महापत्तन
आंध्र प्रदेश	15	5	1
गोवा	5	1	1
गुजरात	48	18	1
कर्नाटक	13	2	1
केरल	17	4	1
महाराष्ट्र	48	16	2
ओडिशा	14	2	1
तमिलनाडु	17	6	3
पश्चिम बंगाल	1	-	1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24	11	-
दमन और दीव	2	-	-
पुदुच्चेरी	3	2	-
लक्षद्वीप	10	1	-

******